

Provisional NOC

← Go Back (<http://www.upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/viewfinalnoc/202607221305038826>)

NOC Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/210133/KPD/KANPUR DEHAT/2103/CFO

दिनांक : 22-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स RAINBOW PUBLIC SCHOOL पता KHASRA NO. 596 ASAI BAIRI SAWAI, KANPUR TO SHIVLI ROAD, VILL ASAI BAIRI SAWAI तहसील - MAITHA प्लाट एरिया 22693.85 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2411.27 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	7.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स RAINBOW PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स RAINBOW PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ईज ऑफ इंडिंग बिजनेस नीति के तहत संस्तुति निम्न प्राविधानों के अधीन की जाती है।

- 1-अपलोड किये गये मानचित्र में आंशिक त्रुटि होने के कारण आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्र मय प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराये हैं जिन्हें ज्वाइन्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट में अपलोड किया गया है।
- 2- Occupier/owner should install the fire fighting systems as per NBC 2016 before commencement of operation of School.
- 3- Occupier/owner should maintain and conduct Electrical safety Audit (As per Indian Electricity Act.), to prevent outbreak of the fire round the clock.
- 4- Occupier/owner should comply section 26 of the UP fire Act 2022 and UP fire service rules 2024 round the clock.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 27-07-2026

स्थान : KANPUR DEHAT

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATEEK SHRIVASTAVA

9B7A2895A6EF8425506920FB6DA695F2E126FE64

27-07-2026

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.